प्रेस नोट दिनांक 17.04.2026 जनपद प्रतापगढ़

प्रेस नोट दि0– 17.04.2026
थाना– लीलापुर, जनपद– प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन थाना लीलापुर पुलिस द्वारा छिनैती के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त अशोक तिवारी को किया गया गिरफ्तार-

थाना लीलापुर पलिस द्वारा अभियुक्त को थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत बरदैत पुल के पास वहद ग्राम बरदैत के पास से किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त के कब्जे से 01अदद देशी तमन्चा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर एवं छिनैती से संबंधित 2200/- रुपये व 01अदद मोबाइल सैमसंग बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष लीलापुर श्री बैकुण्ठ नाथ पाण्डेय के नेतृत्व में उ0नि0 सुमित कुमार वर्मा मय हमराह का० हरेन्द्र सिंह, का० बाबूलाल यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति /वाहन के दौरान थाना लीलापुर के पंजीकृत मु0अ0सं0 62/26 धारा 304(2)/317 (2)/61 (2)A बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त अशोक तिवारी पुत्र हर्षनारायण तिवारी नि0ग्रा0 पूरे गजई थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ एवं हालपता सगरा थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 48 वर्ष को 01अदद देशी तमन्चा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर एवं छिनैती से संबंधित 2200/- रुपये व 01अदद मोबाइल सैमसंग के साथ थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत बरदैत पुल के पास वहद ग्राम बरदैत के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से अवैध 01अदद देशी तमन्चा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर की बरामदगी के आधार पर थाना लीलापुर में मु0अ0सं0 93/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बरामद मोबाइल को अपना होना स्वीकार किया तथा बरामद ₹2200/- के संबंध में बताया कि उसने अपने साथी विपिन सिंह पुत्र धीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम शीतला बक्श का पुरवा थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी एवं सतीश पटेल पुत्र लालचन्द्र पटेल निवासी ग्राम महमदपुर चारपुर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ के साथ मिलकर चैन छिनैती की योजना बनाई थी। उसने बताया कि उसका सिविल स्कोर खराब है और वर्तमान में उसकी कोई आय का स्रोत नहीं है, साथ ही सोने का मूल्य अधिक होने के कारण उसने यह योजना बनाई। दिनांक 16.03.2026 को उसने अपने दोनों साथियों को प्रतापगढ़ में मिलकर अलग-अलग तमंचा व कारतूस उपलब्ध कराए और महिलाओं से चैन छिनैती के लिए भेजा, जिनके द्वारा लालगंज में एक महिला से चैन छीनने का प्रयास असफल रहा, तत्पश्चात पूरनपुर खजूर स्थित एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रही शिक्षिका से चैन छीन ली गई, जिसका कुछ हिस्सा उनके पास आया। उक्त छीनी गई चैन का एक टुकड़ा अभियुक्त को दिया गया, जिसे उसने एक राहगीर को ₹42,500/- में बेच दिया, जिसमें से ₹10,000/- उसने सतीश पटेल को दे दिए और शेष धनराशि में से ₹2200/- बरामद हुए, जबकि बाकी पैसे उसने खर्च कर दिए। अभियुक्त अशोक तिवारी से बरामद तमंचा व कारतूस के संबंध में वैध लाइसेंस प्रस्तुत करने को कहा गया, किन्तु वह कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका और अपनी गलती स्वीकार करते हुए क्षमा याचना करने लगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

अभियुक्त अशोक तिवारी पुत्र हर्षनारायण तिवारी नि0ग्रा0 पूरे गजई थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ एवं हालपता सगरा थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 48 वर्ष।

अपराधिक इतिहास—

अभियुक्त अशोक तिवारी पुत्र हर्षनारायण तिवारी, निवासी ग्राम पूरे गजई थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़, हाल पता सगरा थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़, उम्र लगभग 48 वर्ष-

1-मु0अ0सं0 988/2018 धारा 352/406/419/420/467/468/471 भा.द.वि. थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
2-मु0अ0सं0 157/2023 धारा 323/379/448/504 भा.द.वि. थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़।
3-मु0अ0सं0 244/2022 धारा 323/504/506 भा.द.वि. थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।
4-मु0अ0सं0 440/2022 धारा 147/148/149/427/506 भा.द.वि. थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।
5-मु0अ0सं0 390/2025 धारा 305/331(4) बीएनएस थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।
6-मु0अ0सं0 260/2018 धारा 147/148/149/307/352/504/506 भा.द.वि. थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

7-मु0अ0सं0 62/2026 धारा 304(2)/317(2)/61(2)(A) बीएनएस थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।
8-मु0अ0सं0 93/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम (थाना लीलापुर)—
उ0नि0 सुमित कुमार वर्मा मय हमराह का० हरेन्द्र सिंह, का० बाबूलाल यादव थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 17.04.2026
थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त पंकज मिश्रा को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत स स्टेशन सिविल लाइन के पास से गिरफ्तार किया गया है-

प्रतापगढ़।
दिनांक 14.01.2026 को वादी निवासी बलीपुर, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ अपनी बहन को स्कूल छोड़कर लौट रहे था, तभी बलीपुर दुर्गा मंदिर के पास पूर्व से घात लगाकर बैठे रोहित मिश्रा, पंकज मिश्रा, धीरज मिश्रा, सूरज मिश्रा सहित अन्य लोगों द्वारा रास्ता रोककर लोहे की रॉड, ब्लेड व डंडों से मारपीट की गई, जिससे वादी गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया। बीच-बचाव करने आए उसके मित्र को भी आरोपियों द्वारा मारपीट कर घायल कर दिया गया। घटना के उपरांत सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 22/2026 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 110,126(2) बीएनएस बनाम 06 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 अमित सिंह मय हमराह का0 मो0 आरिफ, का0 कणाद मुनि व का0 अंकित प्रजापति द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 22/26 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/110/126(2)/109(1) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त पंकज मिश्रा पुत्र शिव शंकर मिश्रा नि0 बलीपुर विवेक

नगर थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़ उम्र करीब 33 वर्ष को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत स स्टेशन सिविल लाइन के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
पंकज मिश्रा पुत्र शिव शंकर मिश्रा नि0 बलीपुर विवेक नगर थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़ उम्र करीब 33 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण
उ0नि0 अमित सिंह मय हमराह का0 मो0 आरिफ, का0 कणाद मुनि व का0 अंकित प्रजापति थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 17.04.2026
थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर पुलिस की कार्यवाही: अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त महेन्द्र उर्फ शनि के कब्जे से 01 अदद नाजायज देशी तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत रंगौली नहर ग्राम रंगौली के पास से किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी सांगीपुर श्री गौरव त्रिवेदी के नेतृत्व में उ0नि0 विनय प्रताप सिंह मय हमराह का0 संदीप कुमार, का0 अमित कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत रंगौली नहर ग्राम रंगौली के पास से 01 अदद नाजायज देशी तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ 01 अभियुक्त महेन्द्र उर्फ शनि पुत्र स्व0 हरिलाल निवासी ग्राम डिहवा थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद नाजायज देशी तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर की बरामदगी के संबंध में थाना सांगीपुर पर मु0अ0सं0 72/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. महेन्द्र उर्फ शनि पुत्र स्व० हरिलाल निवासी ग्राम डिहवा थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 197/2023 धारा 354घ, 363,366,376,504 भादवि व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट एवं धारा 67 आइटी एक्ट थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 72/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
01 अदद नाजायज देशी तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

पुलिस टीम-
उ0नि0 विनय प्रताप सिंह मय हमराह का0 संदीप कुमार, का0 अमित कुमार थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 17.04.2026
थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

थाना मान्धाता पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त दीपक उर्फ फतेहबहादुर सिंह को क्षेत्रान्तर्गत कौली मोड गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मान्धाता के उ0नि0 अलंकार यादव मय हमराह हे0का0 अखिलेश कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान,

माननीय परिवार न्यायालय जनपद प्रतापगढ़ के केश न0111240/20 अ0स0 08/18 धारा 365/323/504/506 भादवि थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ से सम्बन्धित वारंटी अभियुक्त दीपक

उर्फ फतेहबहादुर सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम अकोढिया थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत कौली मोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. दीपक उर्फ फतेहबहादुर सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम अकोढिया थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 अलंकार यादव मय हमराह हे0का0 अखिलेश कुमार थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।